

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन

क्रमांक 478/सी-1803/वि/नि/चार/05

रायपुर, दिनांक 09/12/2005

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
छत्तीसगढ़ ।

विषय:-राज्य शासन के कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में दिनांक 1.1.2006 से  
महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दरें ।

राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक  
149/142/वि/नि/चार/05 दिनांक 19.04.2005 द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की दर निम्नानुसार  
संशोधित की जावें :-

अवधि जब से देय है

महंगाई भत्ते की दर प्रतिमाह

दिनांक 1.1.2006 (माह जनवरी 2006 का वेतन  
माह फरवरी 2006 में देय)


64 प्रतिशत

(2) राज्य शासन यह भी निर्देशित करता है कि :-

1. बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि नगद भुगतान की जावेगी ।
2. महंगाई भत्ते के कारण किये जाने वाले भुगतान में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रूप्यों में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

3. महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जावेगा ।
4. महंगाई भत्ते की गणना के लिये “वेतन” से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 1998 में निर्धारित प्राप्त मूल वेतन से है ।
5. वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 के अंतर्गत जो कर्मचारी विद्यमान वेतनमान में बने रहने का विकल्प दिये हैं, उन्हें भी उपर्युक्त महंगाई भत्ते की पात्रता होगी । इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की गणना के लिये वेतन के प्रयोजन हेतु विद्यमान वेतनमान में मूल वेतन व वैयक्तिक वेतन (यदि कोई हो तो), औसत मूल्य सूचकांक 1510 पर देय महंगाई भत्ता एवं अंतरिम राहत की प्रथम तथा द्वितीय किश्त को शामिल किया जाना है ।
6. पुनरीक्षित वेतनमानों में महंगाई भत्ते का नियमितीकरण, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1264/1619/नि-2/चार, दिनांक 8 जुलाई, 1957 एवं इस संबंध में समय-समय पर प्रसारित निर्देशों के अनुसार किया जाता रहेगा ।
7. ये आदेश यू.जी.सी., ए.आई.टी.सी.ई. वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले तथा कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे ।
8. इन आदेशों के अंतर्गत देय महंगाई भत्ते का भुगतान विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो ।

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार**




(एस.के. चक्रवर्ती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
  3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय ।
  4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, बिलासपुर, छ.ग. ।
  5. सचिव, छ.ग., लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/लोक आयोग/ राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
  6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/ राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन ।
  7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, छत्तीसगढ़, बिलासपुर ।
  8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
  9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर ।
  10. अपर मुख्य सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर ।
  11. आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
  12. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, छ.ग., रायपुर ।
  13. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/ मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर।
  14. समस्त सचिव, विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
  15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छ.ग., रायपुर ।
  16. समस्त कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ ।
  17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़ ।
  18. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
  19. समस्त सदस्य, पेंशनर कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ ।
  20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
  21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), को वित्त विभाग की वेबसाइट ([www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in)) में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(एस.के. चक्रवर्ती)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग